Mineral exploration corporation Ltd. also to conduct sampling of coal

1797. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI:

SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether his Ministry has been contemplating to engage Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur, as a third party agency to conduct sampling at loading Colliery and in place of Coal Controller, Calcutta in respect of despatch by rail to power stations;

(b) if so, whether Minister of Power, CEA, NTPC, DVC, and State Electricity Boards agreed to the above mentioned arrangement and are ready to post their officers representatives at the Colliery siding to participate in sampling and adjust payment as per the analysis results of above sampling;

(c) whether in cases Mineral Exploration Corporation Ltd., Nagpur is engaged as their agency for conducting sampling and analysis at point the additional man power sanctioned, trained and recruited in the roll of Coal Controller Organisation for the above purpose will be transferred/absorted in Mineral Exploration Corporation Ltd.; and

(d) if so, the details therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) and (b) Coal India Limited (CIL) as a part of their internal quality control efforts have engaged a number of agencies to collect samples and test coal despatched to major consumers like power stations, CIL have held discussions with Mineral Exploration Corporation Ltd. also for engaging them to collect samples and test some of the coal despatched by CIL. Since it is an internal exercise being carried out by CIL, consultation with other agencies at this stage is not considered necessary.

(c) and (d) Sampling and analysis work presently being carried out under direct supervision of Coal Controller will continue. As such the question of transferring the manpower working in Coal Controller's Organisation to Mineral Exploration Corporation Ltd. does not arise.

कोयला धोवन-शालाओं में दुर्घटनाएं

1798. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला धोवन-शालाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ग) कोयला धोवन-शालाओं में किस प्रकार की दुर्घटनायें होती हैं और सरकार उनसे किस प्रकार निपटती है ;

(घ) कोयला धोवन-शालाओं के कर्मचारियों के लिये क्या-क्या कल्याण योजनायें बनाई गई हैं ;

(ङ) क्या यह योजनायें अपर्याप्त हैं और इनका लाभ वांछित रूप में कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) :

(क) कोल इ. लि. इस्को और टिस्को द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार देश में कोयला वाशरियों के आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं:—

वाशरियां	क्षमता (मि. टन/प्रतिवर्ष)
भा.को.को.लि.	
दुग्दा I एवं II	3.80
भजुडीह	1.70
पाथरडीह	1.60
सुदामडीह	2.00

वाशरियां	क्षमता (मि० टन/प्रतिवर्ष)
मूनीडीह	2.00
लोडना	0.40
बरौरा	0.42
मोहुदा	0.63
से० को० लि०	
कारगली	2.22
कठारा	3.00
सवांग	0.75
गिडडी	2.00
राजरप्पा	3.00
वे० को०लि०	
नन्दन	1.20
सेल	
चसनाला एवं डी०एस०पी०	3.00
टिस्को	
जमादोबा	1.44
वे०बोकारो	2.50

(ख) वाशरियों में कार्यरत श्रमशक्ति को कोयला कम्पनी-वार नीचे दर्शाया गया है :—

भा०को०को०लि०	6027
वे०को०लि०	0353
सें०को०लि०	4573
सेल	549 (डी०एस०पी० को छोड़कर)
टिस्को	1011

(ग) कोयला वाशरियों में होने वाली दुर्घटनाओं की प्रवृति को छोटी, गंभीर और सांघातिक श्रेणियों में रखा गया है। सामान्यत: वाशरियों में दुर्घटनाएं, कन्वेयर बैल्टों के असावधानीपूर्वक चलाए जाने, लोगों के गिरने, वस्तुओं के गिरने तथा उपकरणों के टूटे हुए टुकड़ों के कारण होती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो काम उठाए गए हैं; वे हैं : *भ्रमणशील* भागों के एवज में उचित रक्षकों का प्रावधान, बैल्ट कन्वेयर रूट के साथ पुल कार्ड तथा आकस्मिक स्टाप स्विच, बैल्ट कन्वेयर मार्ग, बैल्ट कन्वेयर के आर-पार जाने के लिए ऊपरी पुलों का प्रावधान, सुरक्षा कार्यों के प्रति जागरूकता को विकसित करने के लिये लोगों को प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण दिया जाना।

(घ) से (च) कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय परामर्शदात्री समिति (जे०बी०सी०सी०आई०) के अधीन राष्ट्रीय कोयला मजदूर समझौता (एन. सी०डब्ल्यू०ए०) के अन्तर्गत आने वाले सभी कल्याणकारी गतिविधियां वाशरियों के कर्मचारियों को उपलब्ध की जाती हैं, जो कि समग्र श्रमशक्ति के एक अंग के रूप में हैं।

Problems in implementation of Indo-Nepal trade treaty

1799. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cumbersome customs procedure and other irritants have cropped up in the implementation of Indo-Nepal Trade treaty